रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2016/पौष 11, 1937
No. 02] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2016/ PAUSA 11 , 1937

indiacode

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र राज्य के लिए)

अधिसूचना

गुड़गांव, 22 दिसम्बर, 2015

जेईआरसी (अक्षय ऊर्जा का प्रापण) विनियम - 2010 में संशोधन

सं.जेईआरसी-14/2010.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों, और इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए) (i) लम्बी समयावधि में प्राप्त अनुभव; (ii) प्रशासनिक कार्यान्वयन और प्रचालनात्मक उपयोगिता; और (iii) केन्द्र सरकार द्वारा अधिक से अधिक बल दिए जाने तथा बड़े पैमाने पर ऊर्जा के अक्षय स्रोतों का संवर्धन करने और उनमें तेजी लाने के लिए नई नीतिगत पहल के आधार पर, 19 फरवरी, 2014 के प्रथम संशोधन (इसके बाद से मूल विनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) के साथ पठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा का प्रापण) विनियम, 2010 की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करता है, और एतद्द्वारा उद्धृत विनियमों में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

I. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और अनुप्रयोग की सीमा

i. इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा का प्रापण) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2015 कहा जाएगा।

ii. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

iii. ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों में बाध्य संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

iv. ये विनियम सभी वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव प्रयोक्ताओं, 1 मेगावाट से अधिक के अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अलावा अन्य प्रयोक्ताओं, तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से 1 मेगावाट से अधिक की संविदागत मांग वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू होंगे।

II. मूल विनियमों के विनियम 2 में संशोधन

क. विनियम 2(ख) से पूर्व, निम्नलिखित नई प्रविष्टि की जाती है और उनकी संख्या बदलकर (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) लिखी जाती है।

ख. **"आपूर्ति का क्षेत्र"** का अर्थ है, ऐसे क्षेत्र, जिसके अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी/ मानित लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्राधिकृत है।

ग. **"कैप्टिव प्रयोक्ता"** का अर्थ वही होगा जैसा कि विद्युत नियम, 2005 के नियम 3(2) में परिभाषित किया गया है।

घ. **"केन्द्रीय एजेंसी"** का अर्थ उस एजेंसी से है जिसे केन्द्रीय आयोग के रूप में समय-समय पर नामित किया जाएगा।

ङ. **"केन्द्रीय आयोग"** का अर्थ अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में उल्लिखित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है।

च. **"प्रमाण-पत्र"** का अर्थ केन्द्रीय एजेंसी द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन को मान्यता देने तथा अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र से है।

छ. परिणामस्वरूप, मूल विनियमों के विनियम 2 का (ख) की संख्या को बदलकर (छ) लिखा जाता है।

ज. मूल विनियमों के विनियम 2 का (ग) के अंतर्गत इसकी संख्या बदलकर (ज) लिखी जाती है जिसमें संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"**पात्र कंपनी** का अर्थ अक्षय ऊर्जा उत्पादनकर्ता से है जिसने केन्द्रीय / राज्य एजेंसी से आवश्यक मान्यता प्राप्त की है।"

झ. मूल विनियमों के विनियम 2 का (घ) की संख्या को (झ) लिखा गया है और इसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"आधार मूल्य और वहनीय मूल्य" का अर्थ क्रमश: न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य है जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा उत्पादन को मान्यता देने तथा अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्युत विनिमय के लिए केवल प्रमाण-पत्र संबंधी कार्रवाई ही की जा सकती है।

ञ. मूल विनियमों के विनियम 2 को हटाया जाता है।

ट. मूल विनियमों के विनियम 2 के (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) की संख्या को बदलकर क्रमश: (ञ), (ट), (ठ), (ड) और (ढ) लिखा जाता है।

ठ. मूल विनियमों के विनियम 2 के (ट) की संख्या को बदलकर (न) लिखा जाता है तथा उसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

IndiaCode

(न) **"बाध्य कंपनी"** का अर्थ गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में वितरण लाइसेंसधारी / मानित लाइसेंसधारी, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) से है जिन्हें इन विनियमों के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा खरीदने की बाध्यता को पूरा करने का अध्यादेश दिया गया है।

ड. एक नई प्रविष्टि (संख्या 'त' के रूप में) निम्नानुसार जोड़ी जाती है:

(त) **"ओपन एक्सेस उपभोक्ता"** का अर्थ ऐसे उपभोक्ता से है जिसे आयोग द्वारा उसके आपूर्ति क्षेत्र के वितरण लाइसेंसधारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई हो और जिसने ओपन एक्सेस से यह सुविधा ली हो या लेना चाहता हो।

ढ. मूल विनियमों के विनियम 2 के (ठ) और (ड) को हटाया गया है ।

ण. मूल विनियमों के विनियम 2 के (ढ), (ण), (त), (थ) और (द) की संख्या बदलकर क्रमश: (थ), (द), (ध), (न) और (प) लिखी जाती है।

त. मूल विनियमों के विनियम 2 के अंतिम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है:

"इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहां स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी अधिनियम या विनियमों में परिभाषित किया गया है और उसका केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी ऐसे अन्य विनियमों या आयोग द्वारा जारी ऐसे अन्य विनियमों में क्रमश: उनके दिए गए अर्थ के समान होगा।"

III. मूल विनियमों के विनियम 1 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 1 (शीर्षक **'अक्षय क्रय बाध्यता (आरपीओ) की मात्रा'** की संख्या बदलकर 3 लिखी जाती है तथा परिणामस्वरूप इसमें निहित सभी खण्डों की संख्या दोबारा लिखी जाती है।

1. खण्ड 1.1 (संशोधित 3.1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"प्रत्येक बाध्य कंपनी नीचे तालिका 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार अक्षय क्रय बाध्यता के अंतर्गत बिजली की अपनी कुल खपत के निश्चित न्यूनतम प्रतिशत को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली खरीदेगी:-

2. तालिका 1 के अंत में, निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया जाए:

"बशर्ते कि कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट अनुसार सौर द्वारा अक्षय ऊर्जा क्रय बाध्यता को केवल सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन से ही पूरा किया जाए;

बशर्ते आगे यह कि अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए ऐसी बाध्यता में, संबंधित बाध्य कंपनी द्वारा पहले से बनाए जा रहे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीद, यदि कोई हो, शामिल होगी; और

बशर्ते आगे यह कि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा पहले से किए गए विद्युत क्रय करार(रों) के अंतर्गत अक्षय स्रोतों से खरीदी गई बिजली, जिसके लिए आयोग द्वारा सहमति दी गई हो, उनकी वर्तमान वैधता तक जारी रहेगी, भले ही ऐसे करार(रों) के अंतर्गत कुल खरीद तालिका 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार प्रतिशत से बढ़ जाए।"

IV. इस विनियम के अंतर्गत नए खण्ड को जोड़ना (3 के रूप में संशोधित)

एक नए खंड को निम्नानुसार 3.2 के रूप में जोड़ा जाता है:-

Indiacode

"3.2 प्रत्येक बाध्य कंपनी अपने आरपीओ लक्ष्य को अपने निजी उत्पादन द्वारा या अन्य स्रोतों/ लाइसेंसधारियों से खरीद के द्वारा या अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों की खरीद द्वारा या उपर्युक्त किसी विकल्प के संयोजन द्वारा पूरा करेगी। कोई दीर्घावधि व्यवस्था केवल आयोग के अनुमोदन से ही बनाई जाएगी। आयोग मामला दर मामला आधार पर दीर्घावधि पीपीए को अनुमोदित करेगा।

V. मूल विनियमों के **विनियम 2 और 3** की संख्या को बदलकर क्रमश: 4 और 5 लिखा जाता है तथा परिणामस्वरूप मौजूदा विनियमों में सभी खण्डों का संदर्भ तदनुसार संशोधित हो जाएगा।

VI. **मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड 3.3 में संशोधन**

विनियम 3 के खण्ड 3.3 (5.3 के रूप में संशोधित) के अंतर्गत 'प्रपत्र' शब्द के बाद "और अवधि के अंदर" शब्द जोड़े जाते हैं।

VII. **नए विनियमों को जोड़ना**

मूल विनियम के विनियम 3 (बदली गई संख्या 5), (शीर्षक **राज्य एजेंसी**) के बाद निम्नलिखित नए विनियम 6, 7, 8 और 9 जोड़े जाते हैं।

"6. **वितरण लाइसेंसधारी :**

6.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी पर्याप्त प्रमाण सहित आयोग द्वारा अधिकृत विनियमों के अनुसार प्रशुल्क / वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) याचिका में आगामी वर्ष के लिए अक्षय स्रोतों से खरीद की अनुमानित मात्रा को दर्शाएगा।

6.2 यदि वितरण लाइसेंसधारी अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खरीद की न्यूनतम मात्रा को पूरा करने में असफल रहता है तो वह इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार दण्ड के लिए जिम्मेदार होगा।"

7. **कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ता :**

7.1 प्रत्येक कैप्टिव प्रयोक्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता बिजली की कुल खपत तथा पिछले वर्ष के लिए राज्य एजेंसी को 30 अप्रैल तक या उससे पहले का वार्षिक आधार पर आरपीओ की पूर्ति हेतु अक्षय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद का आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

7.2 कैप्टिव प्रयोक्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 में उल्लेखित अनुसार अक्षय ऊर्जा और / या अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र(पत्रों) को खरीदेगा, जिन पर राज्य मॉडल एजेंसी द्वारा प्रमाणन देने के बाद ही आरपीओ प्रयोजनों हेतु विचार किया जाएगा। यदि कैप्टिव प्रयोक्ता और ओपन एक्सेस प्रयोक्ता इन विनियमों के विनियम 3 में विनिर्दिष्ट अनुसार मानदण्ड को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें लक्षित मात्रा में हुई कमी के अनुसार इन विनियमों के विनियम 10 के अनुसार विनियामक प्रभार का भुगतान करना होगा।"

8. **अक्षय ऊर्जा मूल्य-निर्धारण :**

8.1 प्रचालन अवधि के दौरान स्थापित नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के पास निम्नलिखित विकल्प होंगे, जो या तो टेरिफ मूल्य-निर्धारण ढांचे, जैसाकि आयोग के संगत प्रौद्योगिकी विशिष्ट प्रशुल्क विनियमों (आयोग द्वारा निर्धारित परियोजना विशिष्ट टैरिफ सहित) में निर्धारित हो सकते हैं या परियोजना से उत्पादित बिजली के मूल्य-निर्धारण के लिए आरईसी प्रणाली को अपनाते हैं।

8.2 परियोजना, जिसमें अधिमान्य टैरिफ का विकल्प चुना जाता है, में टैरिफ मुल्य-निर्धारण ढांचा तब तक जारी रहेगा, जब तक कि विद्युत क्रय करार की वैधता समाप्त न हो जाए।

8.3 अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्राप्त करने वाले ओपन एक्सेस उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रति-राजसहायता अधिभार से आरपीओ की सीमा तक छूट दी जाएगी। तथापि, ओपन एक्सेस के जरिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आपूर्ति हेतु कोई बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

टिप्पणी 1 - आरईसी प्रणाली में दो घटकों, नामत:, बिजली घटक तथा अक्षय ऊर्जा घटक, जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्य-निर्धारण शामिल होगा। प्रचालन अवधि के उद्देश्य के लिए प्रभावी विद्युत घटक मूल्य वितरण लाइसेंसधारी की "विद्युत खरीद की पूल लागत" के समकक्ष होगा, जबकि आरईसी का मूल्य विद्युत आदान-प्रदान में पता लगाए गए अनुसार होगा।

टिप्पणी 2 - "विद्युत खरीद की पूल लागत" भारित औसत पूल मूल्य है, जिस पर वितरण लाइसेंसधारी बिजली खरीदेंगे, जिसमें सभी दीर्घावधि और अल्पावधि ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की पिछले वर्ष की उनकी उत्पादन लागत, यदि कोई हो, शामिल होगी, लेकिन इसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित लागत शामिल नहीं होगी।

टिप्पणी 3 - केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय एजेंसी तथा विनियामक मंच से परामर्श करके समय-समय पर सौर और गैर-सौर अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र(पत्रों) का अलग-अलग न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य निर्धारित करेगा।"

"9. **ओपन एक्सेस के लिए प्राथमिकता :**

9.1 स्थापित क्षमता के बावजूद अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनी को किसी लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली या ग्रिड, जैसी स्थिति हो, के लिए ओपन एक्सेस होगी, और ऐसा लाइसेंसधारी वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने से पहले यथासंभव उपयुक्त एक-दूसरे से संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

9.2 जब कभी एक-दूसरे से संबद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, भारतीय बिजली ग्रिड/राज्य ग्रिड, कोड में विनिर्दिष्ट अनुसार ग्रिड कनेक्टिविटी मानक का पालन करेंगी।"

VIII. **मूल विनियमों के विनियम 4 (शीर्षक डिफॉल्ट के परिणाम) में संशोधन**

विनियम 4 की संख्या बदलकर 10 लिखी जाती है तथा परिणामस्वरूप इसके खण्ड 1 से 4 की संख्या 10.1 से 10.4 होगी।

इस विनियम के पहले पैरा में 'वहनीय मूल्य' शब्दों के बाद "केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्णित" शब्दों को जोड़ा जाए। इसके बाद आने वाले वाक्य को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :

"जहां कोई बाध्य कंपनी अक्षय ऊर्जा स्रोत से अपेक्षित मात्रा में न्यूनतम खरीद या अक्षय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (पत्रों) की खरीद का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां वह अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार दण्ड के लिए भी जिम्मेदार होगा।"

मूल विनियम के इस विनियम के खण्ड 4 (संशोधित 10.4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

"अक्षय क्रय बाध्यता के अनुपालन में यदि कोई वास्तविक कठिनाई आती है तो बाध्य कंपनी अनुपालन आवश्यकता को अगले वर्ष में ले जाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है। तथापि, अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा खरीद के क्रेडिट को अगले वर्ष में समायोजित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां आयोग ने अनुपालन आवश्यकता को अगले वर्ष में ले जाने की सहमति दे दी है, वहां इस विनियम के पहले पैरा में उल्लिखित अनुसार दण्ड के प्रावधान को शामिल नहीं किया जाएगा तथा अधिनियम की धारा 142 का प्रावधान लागू नहीं होगा।

बशर्ते आगे यह कि यदि बाध्य कंपनी लाइसेंसधारी / मानित लाइसेंसधारी है तो आयोग द्वारा बाध्य कंपनी पर लगाया गया दण्ड सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) में आगे नहीं ले जाया जाएगा।"

IX. **नया विनियम जोड़ना**

नए विनियम 11 को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

"11. छूट देने का अधिकार:

आयोग प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाली पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, स्वयं इन विनियमों के किसी प्रावधान को छूट देने या किसी व्यक्ति द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन करने में छूट दे सकता है, जिसमें कोई कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय चाहे कॉर्पोरेट हो अथवा नहीं, शामिल होगा।

X. **मूल विनियम के विनियम 5 (शीर्षक कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां) में संशोधन**

इस विनियम की संख्या बदलकर 12 लिखी जाती है तथा यह निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होगा:

"12.1 इन विनियमों के किसी प्रावधान में कोई कठिनाई होने पर आयोग, किसी उत्पादन कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव प्रयोक्ता और ओपन एक्सेस उपभोक्ता को उपयुक्त निर्देश जारी करके उपयुक्त कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जो आयोग को कठिनाई दूर करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक या अनिवार्य प्रतीत होते हों।

12.2 कोई उत्पादक कंपनी, वितरण लाइसेंसधारी, कैप्टिव प्रयोक्ता, ओपन एक्सेस उपभोक्ता आयोग को आवेदन दे सकता है और किसी कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त आदेश प्राप्त कर सकता है जो इन विनियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न हो सकती है।

XI. **मूल विनियमों के विनियम 6 (शीर्षक संशोधन करने की शक्ति) में संशोधन**

इस विनियम की संख्या बदलकर 13 की जाती है।

'संशोधित' शब्द के बाद आने वाला शब्द 'या' हटाया जाता है। 'संशोधन' शब्द के बाद "या निरस्त" शब्द जोड़ा जाता है।

XII. ***मूल विनियमों के विनियम 7 (शीर्षक विनियमों की समीक्षा) में संशोधन***

इस विनियम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

"14 **बचत**

इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा, जिससे ऐसे आदेश जारी किए जाएं जो आयोग की न्याय प्रक्रिया को पूरा करने या रोकने के लिए आवश्यक हों।

इन विनियमों में कुछ भी आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुरूप अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी प्रावधान से भिन्नता रखते हों, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों, जिनके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, को देखते हुए ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए ऐसा करना आवश्यक और उचित समझाता हो।

इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अभिव्यक्त या सुझाए गए विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) के अंतर्गत किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे किसी मामले, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, को निपटाने से नहीं रोकेगा और आयोग ऐसे मामलों में, जैसा वह उपयुक्त समझे, शक्तियों और कार्यों द्वारा निपटान कर सकेगा।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा/218-आई/301]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 22nd December, 2015

AMENDMENTS IN JERC (PROCUREMENT OF RENEWABLE ENERGY) REGULATIONS – 2010

No. JERC - 14/2010.—In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (For the State of Goa & UTs), based on (i) experience gained over a period of time; (ii) administrative and operational expediency of implementation; and (iii) the Central Government's greater thrust and new policy initiatives on promoting and accelerating development of renewable sources of energy on a much larger scale, recognized the need for a review of the Joint Electricity Regulatory Commission (Procurement of Renewable Energy) Regulations, 2010 read along with the first amendment of 19th February 2014 (hereinafter refer to as the Principal Regulations), and hereby makes the following regulations to amend the cited Regulations as follows:-

I. Short Title, Commencement and extent of application

i. These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Procurement of Renewable Energy) (Second Amendment), Regulations, 2015.

ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

iii. These Regulations shall extend and apply to the obligated entities in the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

iv. These Regulations shall apply to all Distribution Licensees, captive users, using other then Renewable Energy Sources exceeding 1 MW, and to Open Access Consumers with a contracted demand exceeding 1 MW from sources other than Renewable sources of Energy.

II. **Amendment of Regulation 2 of the Principal Regulations**

a. Before (b) of Regulation 2, following new insertions are made and numbered as (b), (c), (d), (e) & (f):-

b. **"Area of Supply"** means the areas within which the Distribution Licensees/ deemed licensees are authorized to supply electricity.

c. **"Captive User"** shall have the same meaning as defined in rule 3 (2) of Electricity Rules 2005.

d. **"Central Agency"** means the agency, as the Central Commission may designate from time to time.

e. **"Central Commission"** means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub section (1) of section 76 of the Act.

f. **"Certificate"** means the Renewable Energy Certificate issued by the Central Agency in accordance with the procedures prescribed by it under the provisions specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations 2010.

g. (b) of Regulation 2 of the Principal Regulations is, consequently, numbered as (g).

h. (c) Under Regulation 2 of the Principal Regulations is numbered as (h) and is amended to read as under:

"**Eligible Entity** means renewable energy generator who has obtained necessary accredition from the Central/ State Agency."

i. (d) of Regulation 2 of the Principal Regulations is numbered as (i) and substituted as under:

IndiaCode

"Floor Price and Forbearance Price" means the minimum price and the ceiling price, respectively as determined by the Central Commission in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for recognition and issue of Renewable Energy Certificate for Renewal Energy Generation) Regulations 2010, as amended from time to time, within which only the certificates can be dealt in the power exchange.

j. (e) of Regulation 2 of the Principal Regulations is deleted.

k. (f), (g), (h), (i) & (j) of Regulation 2 of the Principal Regulations, are renumbered as (j), (k) (l), (m) and (n), respectively.

l. (k) of Regulation 2 of the Principal Regulations, is numbered as (o) and amended as under:-

(o) "**Obligated Entity** means the Distribution Licensees/ deemed licensees, captive user (s) and open access consumer (s) in the State of Goa and Union Territories, which is mandated to fulfill Renewable Purchase Obligation under these Regulations.

m. A new insertion (numbered as 'p') is made as under:-

(p) **"Open access Consumer"** means a Consumer permitted by the Commission to receive supply of electricity from a person other than the Distribution Licensees of his area of supply who has availed of or intends to avail of open access.

n. (l) and (m) of Regulation 2 of the Principal Regulations, are deleted.

o. (n), (o), (p), (q) and (r) of Regulation 2 of the Principal Regulations are renumbered as (q), (r), (s), (t) & (u), respectively.

p. Last paragraph of Regulation 2 of the Principal Regulations, is substituted as under:

"Words and expressions used in these Regulations and not expressly defined herein but defined in the Act or the regulations issued by the Central Commission or any other regulations issued by the Commission, shall have the same meaning assigned to them respectively in the Act or such other regulations issued by the Central Commission or such other regulations issued by the Commission."

III. **Amendment of Regulation 1 of the Principal Regulations**

Regulation 1 (titled '**Quantum of Renewal Purchase Obligation (RPO))** of the Principal Regulations is renumbered as **3** and consequently all clauses therein.

1. Clause 1.1 (Amended 3.1), is substituted by the following:-

"Every obligated entity shall purchase electricity from renewable energy sources for fulfillment of a defined minimum percentage of its total consumption of electricity under the Renewable Purchase Obligation as specified in Table 1 below:-

2. At the end of Table 1, the following provisos shall be inserted:

"Provided that the Renewal Purchase Obligation from solar as specified in Column 3 shall be fulfilled from the generation based on solar sources only;

Provided further that such obligation to purchase Renewal energy shall be inclusive of the purchases, if any, from renewal energy sources already being made by the concerned obligated entity; and

Provided further that the power purchase from renewable sources under the Power Purchase Agreement (s) already entered into by the distribution licensees and consented to by the Commission, shall continue to be made till their present validity, even if the total purchase under such agreement (s) exceeds the percentage as specified in Table 1."

IV. **Insertion of a new Clause under this Regulation (Amended as 3)**

A new Clause as 3.2 is inserted as follows:-

"3.2 Every obligated entity shall meet its RPO target by way of its own generation or by way of purchase from other sources / licensees or by way of purchase of Renewal Energy Certificates or by way of combination of any of the above options. Any long term purchase arrangements shall be made only with the approval of the Commission. The Commission shall approve long term PPAs on case to case basis."

V. **Regulations 2** & **3** of the Principal Regulations is renumbered as **4** & **5,** respectively and consequently reference to all clauses in the existing regulations shall stand amended accordingly.

VI. **Amendment in Clause 3.3 of Regulation 3 of the Principal Regulations**

under Clause 3.3 of Regulation 3, (Amended as 5.3), after the word 'format', inserted the words "and within the period".

VII. **Insertion of new Regulations**

After the Regulation 3 (titled **State Agency)** of the Principal Regulations (renumbered as 5), the following new regulations 6, 7, 8 and 9 are inserted.

"6. **Distribution Licensee:**

6.1 Each distribution licensee shall indicate along with sufficient proof thereof, the estimated quantum of purchase from renewable sources for the ensuing year in Tariff /Annual Revenue Requirement (ARR) petition in accordance with the regulations notified by the Commission.

6.2 If the Distribution Licensee fails to fulfill the minimum quantum of purchase from renewable energy sources, it shall be liable for penalty as per Regulation 10 of these Regulations."

7. **Captive User (s) and Open Access Consumer (s):**

7.1 Every Captive User and Open Access Consumer shall submit necessary details regarding total consumption of electricity and purchase of energy from renewable sources for fulfillment of RPO on yearly basis on or before 30th April to the State Agency for the previous year.

7.2 Captive User (s) and Open Access Consumer (s) shall purchase renewable energy and / or Renewable Energy Certificate (s) as stated in Regulation 3 of these Regulations or generate renewable energy for its own consumption, which shall be considered for RPO purposes only after certification by the State Nodal Agency. If the Captive User (s) and Open Access consumer (s) are unable to fulfill the criteria as specified in Regulation 3 of these Regulations, the shortfall of the targeted quantum would attract payment of regulatory charge as per Regulation 10 of these Regulations. "

8. **Renewable Energy Pricing:**

8.1 New Renewable Energy Projects commissioned during the operative period shall have an option of following, either the tariff pricing structure, as may be stipulated in the relevant technology specific tariff Regulations of the Commission (including project specific tariff decided by the Commission) or adopt the REC mechanism for pricing of the electricity generated from the project.

8.2 Project which opt for preferential tariff shall have to continue with the same tariff pricing structure until the validity of Power Purchase Agreement ceases.

8.3 Open access consumer receiving electricity from renewable energy sources shall be exempted from the cross-subsidy surcharge determined by the Commission from time to time to the extent of RPO. However, no banking facility shall be provided for supply of electricity from renewable energy sources through open access.

Note 1 – The REC mechanism entails pricing of two components, namely, electricity component and renewable energy component representing environmental attributes of renewable energy generation. For the purpose of the operating period, the effective electricity component price shall be equivalent to "Pooled Cost of power purchase "of the Distribution Licensee, whereas, the price of RECs shall be as discovered in the Power Exchange.

Note 2- "Pooled Cost of Power Purchase" is the weighted average pooled price at which the Distribution Licensee shall purchase the electricity including cost of self-generation, if any, in the previous year from all the long-term and short-term energy suppliers, but excluding those based on renewable energy sources.

Note 3 – The Central Commission, in consultation with the Central Agency and the Forum of Regulators, from time to time prescribes the Floor Price and the Forbearance Price separately for solar and non-solar Renewable Energy Certificate (s)."

"9. **Priority for Open Access:**

9.1 An entity generating electricity from renewable energy sources irrespective of installed capacity shall have open access to any licensee's transmission system or distribution system or grid, as the case may be, and such a licensee shall provide appropriate interconnection facilities, as far as possible, before commercial operation commences.

9.2 The interconnection facilities, whenever provided, shall follow the grid connectivity standards as specified in the Indian Electricity Grid / State Grid Code."

VIII. **Amendment of Regulation 4 (titled Consequences of Default) of the Principal Regulations**

Regulation 4 is renumbered as 10 and consequently the clauses therein as 10.1 to 10.4 instead of 1 to 4.

In the first paragraph of this Regulation, after the words 'Forbearance Price', insert the words "decided by the Central Commission". The sentence appearing thereafter is substituted by the following:

"Where any obligated entity fails to comply with the obligation to purchase the required minimum quantum of purchase from renewable energy sources or procure the Renewable Energy Certificate (s), it shall also be liable for penalty as may be decided by the Commission under Section 142 of the Act".

Clause 4 of this Regulation of the Principal Regulations (Amended 10.4), is substituted by the following:

"That in case of genuine difficulty in complying with a Renewable Purchase Obligation the obligated entity can approach the Commission for carry forward of compliance requirement to the next year. However, credit for excess renewal energy purchase would not be adjusted in the next year.

Provided that where the Commission has consented to the carry forward of compliance requirement, the provision of penalty as mentioned in the first paragraph of this Regulation or the provision of section 142 of the Act shall not be invoked.

Provided further that the penalty enforced by the Commission on the obligated entity shall not be a pass through in the Aggregate Revenue Requirement (ARR) in case the obligated entity is the licensee / deemed licensee."

IX. **Insertion of new Regulation**

Following new Regulation 11 is inserted as under:

"11**. Power to Relax:**

The Commission may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after giving an opportunity of being heard to the parties affected or likely to be affected, relax any of the provisions of these Regulations on its own or on an application made before it by a person

which includes any company or body corporate or association or body of individuals whether corporate or not.

X. **Amendment of Regulation 5 (titled Power to remove difficulties) of the Principal Regulations**

This Regulation is renumbered as 12 and substituted by the following:

"12.1 In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may by order, issue appropriate directions to any generating company, Distribution Licensee, captive user and open access consumer, to take suitable action, not being inconsistent with the provision of the Act, which appear to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

12.2 Any generating company, Distribution Licensees, captive user, open access consumers may make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulty that may arise in implementation of these Regulations."

XI. **Amendment of Regulation 6 (titled Power to amend) of the Principal Regulations**

This Regulation is renumbered as 13

The word 'or' appearing after the word modify is deleted. After the word 'amend', inserted the words "or repeal".

XII. ***Amendment of Regulation 7 (titled Review of Regulations) of the Principal Regulations***

This Regulation is substituted by the following:

"14 **Savings**

Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the process of the Commission.

Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) a procedure, which is at variance with any of the provisions or these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Electricity Act 2003 (36 of 2003) for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./218-I/301]

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.